

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या 258/2025

अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. राणसिंह पुत्र पाबूदानसिंह 2. लखसिंह पुत्र पाबूदानसिंह जाति राजपुत, निवासी सुवाला तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार शिव 2. खंगारसिंह पुत्र अमरसिंह 3. रावतसिंह पुत्र खंगारसिंह जाति राजपुत, निवासी मांगीणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 4. शाखा प्रबंधक, वीसीसीवी शाखा शिव

उपस्थित :- अधिवक्ता प्रार्थीगण :- श्री बृजमोहन कुमावत।
अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2 व 3 :- श्री बालाराम गोदारा।



--: आदेश :-

दिनांक : 09.02.2026

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काशत करा खेत मौजा सुवाला, तहसील शिव के खसरा नम्बर 171/264 रकबा 4.3706 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थीगण के सेढासेढ ही विप्रार्थी संख्या 2 व 3 का खेत खसरा नम्बर 221/171 रकबा 7.7700 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त विवादित आराजी पूर्व में एक ही खाता था। उक्त विवादित आराजी में राजस्व रेकॉर्ड के लट्टा नक्शा में तरमीम अंकित करते समय राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा विवादित आराजी की तरमीम बिना मौका मुआयना किये तथा कब्जा काशत की बिना जांच किये गलत तरमीम कर दी गई, जिसे मौके पर कब्जा काशत की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। उक्त गलत तरमीम से खातेदारान् का कब्जा काशत एक दुसरे की तरमीम में आ गये है तथा मौके पर कब्जा काशत एवं रहवासी ढाणी प्रभावित हो रहा है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड के लट्टा ट्रेस में की गई तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर पक्षकारान् के माफिक कब्जा काशत अनुसार तरमीम एवं रेकॉर्ड दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। विप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से इकबाली जवाब पेश किया गया। शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर वास्तविक कब्जा एवं लट्टा नक्शा की तरमीम में भिन्नता है। रेकॉर्ड में मौके पर कब्जा काशत अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने पर मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार पक्षकारान् के वास्तविक कब्जा काशत अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई, जिस पर सभी खातेदारान् व मौतबिरान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दुरुस्त करवाते हुए विवादित आराजी के लट्टा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया। विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए तदनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतविरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर वास्तविक कब्जा काश्त एवं लट्ठा नक्शा की तरमीम में भिन्नता है। रेकॉर्ड में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने पर मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार पक्षकारान् के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई, जिस पर उपस्थित खातेदारान् व मौतविरान द्वारा सहमति प्रदान की गई है। साथ ही उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तदनुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा सुवाला, तहसील शिव में प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 171/264 रकबा 4.3706 हैक्टेयर एवं विप्रार्थी संख्या 2 व 3 के खेत खसरा नम्बर 221/171 रकबा 7.7700 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार शिव को तदनुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बिड़मेर)

आदेश आज दिनांक 09.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बिड़मेर)